न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या 70 / 2021 GCMS NO 2021 / 332
दायरा तिथि : 13.12.2021
आदेश तिथि : 12-09-2022

प्रार्थीगण :–
1. श्री राहुल शारदा पुत्र श्री रवि शारदा जाति माहेश्वरी
2. सुनील केजरीवाल पुत्र एस. एम. केजरीवाल जाति अग्रवाल
जरिये आम मुख्तियार डूंगरसिंह पुत्र सरूपसिंह जाति राजपूत निवासी वेरा जेतपुरा तहसील शिवगंज जिला सिरोही

ब ना म

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत राजकीय भूमि मे से रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक 12-09-2022

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम 68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित सहखातेदारी भूमि मौजा मोरीबेडा स्टेशन तहसील बाली के खसरा नंबर 1132 रकबा 0.94 हैक्टर व खसरा नंबर 1145 रकबा 0.75 हैक्टर किस्म बारानी दोयम व पर्यटन ईकाई(रिसोर्ट) मे आवागमन के लिए कोई विकल्प / रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवाय चक भूमि मौजा मोरीबेडा स्टेशन के खसरा नंबर 1131 रकबा 6.03 हैक्टर किस्म गै.मु.मगरी प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में भूरे रंग से दर्शित मार्ग से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियन, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02-03-2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बेडा ने जरिये पत्रांक : राजस्व / 2022 / 2405 दिनांक 01.08.2022 से रेकर्ड व मौका स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. ग्राम मोरीबेडा स्टेशन तहसील बाली के खसरा नंबर 1132 रकबा 0.9400 हैक्टर, भूमि किस्म बारानी दोयम की खातेदारी भूमि प्रार्थी श्री राहुल शारदा पुत्र रवि शारदा हि. 1/2 जाति माहेश्वरी निवासी वसंतकुंज नई दिल्ली व सुनील केजरीवाल पुत्र एस.एम. केजरीवाल जाति अग्रवाल निवासी वसंतकुंज नई दिल्ली के नाम से संयुक्त खातेदारी भूमि दर्ज है। खातेदार की धारित भूमि ख.न. 1144, 1145, 1148, 1149 रकबा क्रमशः 0.33 हैक्टर, 0.75 हैक्टर, 0.28 हैक्टर, 0.31 हैक्टर भूमि में आवागमन के लिये रास्ता उपलब्ध है तथा रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। आवेदक ख.नं. 1144, 1145, 1148, 1149 से 1132 में आने हेतु खातेदार राजकीय सिवायचक भूमि के ख.न. 1131 रकबा 6.03 हैक्टर किस्म गै.मु.मगरी में से आवागमन करता है तथा आवेदक अपने खातेदारी के ख.नं. 1132 में आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ते का विकल्प नही है।
2. रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानूसार है :–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	1131	6.03 हैक्टर	गै.मु. मगरी	21.50 X 8 = 172 वर्गमीटर	राजकीय सिवाय चक भूमि

3. यह है कि प्रस्तावित भूमि ग्राम मोरीबेडा स्टेशन की डी.एल.सी.दर 96390 / – रूपये प्रति हैक्टर है ।
4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि मे कोई भी वृक्ष या पक्का निर्माण इत्यादि नही है। अतः अन्य कोई भी क्षति नही

पेज लगातार—2

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण प्रकरण संख्या 70/2021 GCMS NO 2021/332

अनवान राहुल वगैरा बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियमम, 1955

होगी तथा प्रस्तावित रास्ते के क्षैत्रफल मे से अन्य क्षति यथा वृक्ष, पक्का निर्माण कार्य इत्यादि नही है।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण मे प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात जाहिर हैं कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये वर्तमान में कोई रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है, तथा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त कोई विकल्प मौजूद नहीं हैं। अतः तहसीलदार बाली के कार्यालय तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बेडा ने जरिये पत्रांक : राजस्व/2022/2405 दिनांक 01.08.2022 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमांक :प.3(52)राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि मौजा मोरीबेडा स्टेशन तहसील बाली के खसरा नंबर 1132 रकबा 0.94 हैक्टर व खसरा नंबर 1145 रकबा 0.75 हैक्टर किस्म बारानी दोयम व पर्यटन ईकाई(रिसोर्ट) में आवागमन हेतु राजकीय सिवाय चक भूमि मौजा मोरीबेडा स्टेशन के खसरा नंबर 1131 रकबा 6.03 हैक्टर किस्म गै.मु.मगरी मे से **21.50 X 8 = 172** वर्गमीटर रास्ता नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप रास्ता उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती हैं :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 96390/– प्रति हैक्टेयर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
1131	6.03 हैक्टर	21.50 X 8 = 172 वर्गमीटर	9.64	1660 X2=3320	राजकीय सिवायचक भूमि

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार **3320/– (अक्षरे तीन हजार तीन सौ बीस रूपये मात्र)** रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राज्य कोष मे जमा कराये जावेंगे। तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री आयमुंड स्नेहिल नाना)
उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला पाली (राज.)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक : 12-09-22

पत्रांक : कोर्ट/2022/3365-69

<u>**प्रतिलिपि पालनार्थ**</u> :–

1. तहसीलदार बाली
2. भू.अ.निरीक्षक बेडा
3. पटवारी हल्का दूदनी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक के आम मुख्तियार डूंगरसिंह पुत्र सरूपसिंह जाति राजपूत निवासी वेरा जेतपुरा तहसील शिवगंज जिला सिरोही को सूचनार्थ प्रेषित हैं।

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला पाली (राज.)
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उप - खण्ड अधिकारी
बाली, जिला - पाली (राज.)

Scanned by CamScanner